Q.5. नैतिक मापदण्ड के रूप में बाह्य नियम की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। 1997 2003

EXPLain and examine External law as a moral standard.

Ans :→ इस सिद्धान्त के अनुसार बाह्य नियमवाद अथवा किसी बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित नियम नैतिकता का मापदण्ड है। साथ ही साथ बाह्य नियमवाद को वैधानिक मत के नाम से भी जाना जाता है। साधारणतः मानव में यह धारणा है कि मनुष्य सुख प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति के लिए ही कर्म करता है। मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरों को नष्ट भी कर देता है। कुछ विद्वानों का मत है कि आचरण सम्बन्धी आदर्श किसी ~~मनुष्य~~ बाह्य सत्ता (Authority) द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। वैसे आदेश या आदर्शों की व्यवस्था जो हमारे किसी बाह्य सत्ता की इच्छा या आज्ञाओं द्वारा बाहर से आरोपित किये जाते हैं तो वे बाह्य नियम कहलाते हैं। ये बाह्य नियमवाद लिखित और अलिखित दोनो प्रकार के होते है। जैसे - माता-पिता का आदेश, संत का उपदेश, राज्य का कानून, पुस्तकों का अध्ययन इत्यादि। कुछ बाह्य नियम वैसे भी होते है जिनके पालन के लिए बल प्रयोग भी किया जाता है। जैसे- कानून का उलंघन उनका उलंघन करनेपर दण्ड भी मिलता है। कभी-कभी इन नियमों के पालन से हमे पुरस्कार भी मिलता है।

बाह्य नियम के समर्थकों के अनुसार कोई कर्म स्वतः उचित या अनुचित नही है। अर्थात किसी भी कर्म में औचित्य और अनौचित्य अपने आप से नही होता है। कोई कर्म इसलिए उचित है कि उसका पालन का आदेश किसी उच्चतर शक्ति ने दिया है। बाह्य नियमवाद में कोई भी कर्म स्वतंत्र संकल्पों या इच्छाओं पर आधारित नही होता है। किसी भी कर्म अपने विवेक से नही बल्कि बाह्य नियम के अनुसार किया जाता है।

बाह्य नियमवादियों के अनुसार बाह्य शक्ति कौन है, इसपर मतभेद है। इन मतभेदों के फलस्वरूप बाह्य नियम निम्न-लिखित है —

Q.3 नैतिक मानदण्ड के रूप में सामाजिक नियम की व्याख्या कीजिए। 1998 2002 (2)

1. समाज का नियम (Law of Society) → कुछ विद्वानों के अनुसार समाज का नियम ही नैतिक मानदण्ड है। छोटे छोटे समुदाय मिलकर क्रमशः समाज बने। मनुष्य स्वभावतः ही सामाजिक प्राणी है। उसके लिए सामाजिक मत का बड़ा महत्त्व है। इसमें लोकमत, परम्परा, रीति-रिवाज आदि आते हैं। समाज जिस कर्म को अच्छा कहे वही कर्म शुभ है तथा जिस कर्म को बुरा कहे वही कर्म अशुभ है। पी० केन के अनुसार "एक नैतिक कार्य सामाजिक सत्ता द्वारा बनाया हुआ और प्रत्येक नागरिक पर बाधित माना गया है नियम है। उसकी नैतिकता सामाजिक सत्ता के मूल उद्देश्यों को पूर्ण करने में नहीं बल्कि उसके एक सत्ता द्वारा आरोपित होने से बनी है।" समाज के इन नियमों के साथ सामाजिक पुरस्कार का लालच तथा सामाजिक बहिष्कार का भय बना रहता है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह उसका पालन करे॥

समाज का नियम नैतिकता का मानदण्ड नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं—

(i) नैतिकता के आधार का अभाव :→ समाज के नियम मनुष्यों के स्थायी भावों पर आधारित हैं। वे देश और काल के साथ ~~परिस्थिति~~ परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें कोई सार्वभौम नियम नहीं मिल सकता। वे अधिकांशतः परस्पर विरोधी होते हैं। अतः वे नैतिकता के आधार नहीं बन सकते।

(ii) स्वतंत्रता का अभाव :→ सामाजिक नियम बल प्रयोग पर आधारित है। प्रत्येक मानव स्वभावतः स्वतंत्र इच्छा का होना अनिवार्य चाहता है। समाज में कुछ शक्तिशाली व्यक्ति भी होते हैं। अतः स्वतंत्र और निर्णय व्यक्ति उनका विरोध करने से नहीं डरेगा अतः समाज में स्वतंत्र इच्छा का होना अनिवार्य है।

(iii) आन्तरिक आचरण को प्रभावित न करना :→ समाज का नियम मानव के बाह्य आचरण पर ही लागू होता है। समाज

Scanned with CamScanner

मनुष्यों के कार्यों के प्रेरक भावनाओं की नहीं ध्यान दिया। आचरण नैतिकता कार्यों के आन्तरिक पक्ष पर निर्भर है।

(iv) बौद्धिक चेतना पर दबाव → बुद्धि जैसे मानव के बौद्धिक चेतना विपरीत होता है। यह बाह्य मत का अनुसरण करने की बजाय बुद्धि के प्रकाश में नैतिकता नियमों की आलोचना करने लगता है। बुद्धि के कारण होने पर वह उनका विरोध करने में प्रवृत्त हो जाता है।

Date 10/9/16 (mk3) 2

## राज्य का नियम (The Law of The State) –

हॉब्स (hobbes) और (bain) बेन आदि विचारक राज्य के अनुसार राज्य या सरकार के नियम ही नैतिकता का मापदण्ड है। इन लोगों के अनुसार राज्य एक निर्देश लगाता है। राज्य ही आचरण सम्बन्धित नियमों का निर्धारण करता है। इन नियमों का पालन नहीं होने पर मनुष्य को दण्ड सरकार भी राज्य देता है। जैसाकि हॉब्स का मत है कि "सभी प्रकार के उचित और अनुचित के विषयों में नागरिक कानून ही निर्णय करने के लिए एक मात्र सर्वोच्च न्यायालय है।" हॉब्स के अनुसार नैतिकता प्रत्येक विधान में नागरिक सरकार शासन के नियम ही एक रूप है।

नैतिकता के मापदण्ड के लिए राज्य का नियम सही नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं –

(i) राज्य और सरकार या सरकार के परिवर्तन के साथ-साथ नियम परिवर्तित होते रहते हैं। विभिन्न देश और काल में भी भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः उनके आधार पर कोई नैतिक नियम नहीं बनाये जाते हैं।

(ii) राजनीतिक नियम जीवन के सभी व्यवहारों में नैतिकता निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका क्षेत्र सीमित है। वे हमारे अन्तःकरण, प्रेरणाओं और अनुभवों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

(iii) नैतिकता आन्तरिक है और व्यक्ति के स्वतंत्र संकल्प पर आधारित है जबकि राज्य का नियम बाह्य नियम है।

(iv) राज्य का नियम भी वल प्रयोग और भय पर आधारित है अतः ये नैतिकता नियम के स्रोत नहीं बन सकते हैं।

3. ईश्वरीय नियम (Divine Law as the Standard of Morality) :→ इस मत के प्रमुख देकार्त, लॉक और पैले आदि दार्शनिकों ने नैतिकता का आधार ईश्वर को मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर की आज्ञा ही नैतिकता का मापदण्ड है क्योंकि नियम राज्य के द्वारा निर्मित हो या सामाजिक के द्वारा दोनों ही स्थितियों में उसका निर्माण मनुष्यों के द्वारा ही होता है। मनुष्य अपूर्ण है, अतः नियम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। ईश्वर ही एकमात्र पूर्ण है। जैसा कि लॉक दार्शनिक ने कहा है कि "नैतिकता का सच्चा आदर्श केवल ईश्वर की इच्छा ही नियम है।" ईश्वर की स्वच्छन्द इच्छा पर सभी सत्य आश्रित है। यदि ईश्वर के आदेशों के अनुकूल कर्म हुए तो स्वर्ग तथा यदि उनके विपरीत कर्म हुए तो नरक की प्राप्ति या नरक का कष्ट भोगना पड़ता है।

ईश्वरीय नियम में निम्नलिखित दोष पाये गये हैं जो इस प्रकार है -

(i) नैतिक मापदण्ड बुद्धिसम्मत होना चाहिए, जबकि ईश्वरीय नियम में मानव बुद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

(ii) समाज में अनेक धर्म हैं। धर्म के अनुसार ईश्वर अनेक हैं। अस्तित्व भी अनेक है। इन धर्म में एकरूपता नहीं है, और न भविष्य में ही हो सकती है। अतः ईश्वरीय नियम से सभी धर्मों का अलग-अलग नैतिक नियम हो जाय। फलस्वरूप समाज में लड़ाई की आशंका हमेशा बनी रहेगी।

(iii) पुरस्कार के प्रलोभन एवं दण्ड के भय से यदि ईश्वरीय नियमों का पालन किया जाए तो इसमें श्रद्धा का भाव कम और भय का

Scanned with CamScanner

मानें आधिक होगा। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या नरक से बचने के लिए ईश्वरीय आदेश का पालन कभी नैतिक नहीं कहा जा सकता।

(iv) समाज के नैतिक मानदण्ड सामाजिक आचरण के नियामक होते हैं। अतः सामाजिक जीवनयापन करने के लिए सामाजिक नैतिक नियमों की आवश्यकता है, आध्यात्मिक ईश्वरीय आदेशों की नहीं।

(v) ईश्वरीय नियम स्वयं साध्य (end) नहीं है। ये तो किसी सर्वोच्च लक्ष्य की सिद्धि के साधन कहे जा सकते हैं। भारतीय दर्शन में मोक्ष (liberation) को सामान्यतः सर्वोच्च लक्ष्य (Summum bonum) माना जाता है जिसकी प्राप्ति में ईश्वरीय नियम सहायक माने गए हैं।

इस प्रकार ईश्वरीय नियम साधन होने के कारण नैतिकता के चरम आदर्श नहीं कहे जा सकते। The End

बाह्य नियमवाद की आलोचना :→ (i) बाह्य दबाव पर जोर → नैतिक नियम किसी बाह्य या आन्तरिक दबाव पर आधारित नहीं होता है। नियमवाद 'करना चाहिए' के स्थान पर 'करना पड़ेगा' की स्थापना करता है जो नैतिकता नहीं हो सकता है। किसी बढ़ती दबाव से व्यक्ति के अन्तःकरण को बदला नहीं जा सकता है।

(ii) आत्मा की स्वतंत्रता का खण्डन :→ नीतिशास्त्र के आधारभूत मान्यता आत्मा की स्वतंत्रता है। बाह्य नियमवाद के अनुसार मनुष्य को आत्मा को आत्मा के विरोध में बाह्य नियम का पालन करना पड़ता है। अतः आत्मा की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। आत्मा की स्वतंत्रता का खण्डन करना पड़ता है।

(iii) कठोरता :→ बाह्य नियमवादी नीतिशास्त्र कठोर है क्योंकि वह नियम प्रत्येक अवस्था में अपवाद के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता है। नियम समाज में जड़ हो जाते हैं। असाधारण परिस्थितियों पर कठोर नियमों की मान्यता कठिन हो जाती है। मान्य है। फलस्वरूप नियम की मान्यता आवश्यकता है।

(iv) निरंकुश मापदण्ड :→ नियमवाद का नैतिक निरंकुश मापदण्ड है। वह समाज, राजसत्ता अथवा ईश्वर की मनमानी इच्छा पर निर्भर

रहता है। उसका कोई अनिवार्य बौद्धिक आधार नहीं है जबकि नैतिक नियम आत्मा के प्रकृति अनुरूप और बुद्धि पर आधारित होना चाहिए।

(V) व्यावसायिक बुद्धि पर आधारित :→ बाह्य नियम पुरस्कार की आशा और दण्ड के भय पर आधारित है। यदि हानि लाभ पर विचार ही कार्यों का प्रेरक कारण है तो नैतिकता का स्थान स्वार्थ और गुणों का स्थान व्यावसायिक बुद्धि ले लेती है। इस प्रकार का कार्य कभी भी नैतिक नहीं हो सकता है क्योंकि नैतिकता स्वयं साध्य है। वह किसी प्रकार के अच्छे बुरे के परिणाम पर आधारित नहीं है।

The End